न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/99/2018

उनवान

1. मांगू सिंह पिता डूंगर सिंह रावत निवासी करमा का बाडिया तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
2. गोपाल सिंह पिता मांगू सिंह रावत निवासी करमा का बाडिया तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. गिरधारी सिंह पिता डूंगर सिंह रावत निवासी करमा का बाडिया तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 19/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.6.2017

अधिवक्तागण :–

1.श्री दूदाराम ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण

2. प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित

3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 16.1.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम करमा का बाडिया पटवार हल्का मोठी तहसील बदनोर के खाता संख्या 24 में आराजी संख्या 302 मीन, 302/1, 488, 497/2059 कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित है। जिस पर लगातार वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य करके ही वादी अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि में से आराजी नम्बर 497/2059 पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अवैध कब्जा कर लिया है और मौके पर प्रतिवादीगण ने पत्थर , रेत , डलवा कर नीवें खुदवाने का काम शुरू कर दिया है। वादी को जानकारी होने पर वादी मौके पर पहूँचा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मौके पर अवैध कब्जा कर, निर्माण नहीं करने तथा तुरन्त प्रभाव से निर्माण सामग्री को मौके से हटाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 गाली गलोज करते हुए मारपीट पर उतारू हुए और अपना कब्जा हटाने से साफ इंकार हो गये।

2. वादी ने अपनी खातेदारी जमाबंदी की प्रतिलिपि दिखा कर कहा कि यह जमीन मेरी है । इस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने जमाबंदी की नकल वादी के हाथ से छीनकर फाड दी तथा धमकाने लगे कि उक्त भूमि पर हमें अवैध कब्जा करना था सो हमनें कर लिया है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो तुमसे जो होवे वो कर लेना और आज के बाद इस जमीन पर पांव रखा तो तुम्हारे पॉव तोड देंगे। इस संबंध में वादी के द्वारा थाना बदनोर में दिनांक 16.1.2017 को एक लिखित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई परन्तु समुचित कार्यवाही नहीं की गई। वाद हेतुक दिनांक 16.1.2017 से जारी है। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी नम्बर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, शीलवाड़ा

497/2059 पर पत्थर आदि डालकर किये गये अपने अवैध कब्जे को तुरन्त प्रभाव से हटा लेवे, मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 13.2.2018 को बताने पर हुई। जिस पर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए नकल आवेदन दिनांक 14.10.2018 को प्रस्तुत किया एवं नकल प्राप्त होने पर अपने अधिवक्ता से कानूनी रायय लेकर अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की है। अतः निर्णय पारित किये जाने से निर्णय की नकल प्राप्ति की अवधि को कण्डोन किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं होने के बावजूद तामील मानकर जवाब का अवसर देकर पत्रावली दिनांक 3.5.2017 को जवाब हेतु प्रकरण नियत कर दिया गया । दिनांक 1.3.2017 को वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 का

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नाम डिलिट किये जाने का आदेशिका पर ही अंकन किया जो बाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता वादी के द्वारा निवेदन को बिना स्वीकार किये सीधे ही निर्णय व डिक्री में नाम डिलिट कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 5.4.2017 की आदेशिका में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 का जवाब नहीं आया है पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 3.5.2017 को पेश होने बावत नियत की गई थी। लेकिन केवल वादी की उपस्थिति में मिलीभगत से पत्रावली को सीधे ही दिनांक 3.5.2017 को नियत नहीं कर दिनांक 13.6.2017 को कैम्प ओजियाणा में लोक अदालत में बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये ही व उक्त पत्रावली में बिना साक्ष्य का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी का वादग्रस्त आराजियात पर प्रारंभ से ही कब्जा नहीं होने के बावजूद नियमों से परे जाकर उक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर आवंटन कर दी । जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं थी व न ही प्रत्यर्थी ने उक्त आराजी संख्या 497 / 2059 के रकबे को नपवाया है तथा वाद पत्र में उक्त आराजी का कितना रकबा है जिस पर अपीलार्थीगण का कब्जा है यह कहीं अंकित नहीं किया है । वास्तविकता यह है कि प्रत्यर्थी को उक्त आराजी का कितना रकबा है एवं उक्त आराजी मौके पर कहाँ पर स्थित है इसकी जानकारी नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय को

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

अंधेरे में रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री छल कपट पूर्वक प्राप्त की है। जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 3.5.2017 को पत्रावली को जवाब हेतु नियत किया गया था। उसके उपरान्त दिनांक 3.5.2017 को पत्रावली में कोई आदेशिका नहीं लिखी गई एवं सीधे ही प्रकरण को दिनांक 13.6.2017 को कैम्प ओजियाणा में अपीलार्थीगण को सूचना दिये बिना ही नियत की जाकर प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ पहूँचाने की नियत से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित । प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

11. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

12. प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया । जिसे दिनांक 13.2.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.3.2017 नियत की गई। दिनांक 1.3.2017 की आदेशिका अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 को छोडकर प्रतिवादी संख्या 1, 2, के जवाव हेतु अवसर चाहने से जवाव हेतु अवसर देते हुए प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.4.2017 नियत की गई। उक्त आदेशिका में अधिवक्ता वादी द्वारा यह अंकन किया गया कि ''प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहता हूँ अतः प्रतिवादी संख्या 3 का नाम डिलिट कराने की कृपा करावें।'' इस पर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम डिलिट किये जाने बाबत कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया एवं न ही आदेशिका में इस बाबत कोई अंकन हीं किया गया । जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रतिवादी द्वारा विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उस पर विधिवत निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 का नाम डिलिट किये जाने का अंकन आदेशिका में करना चाहिये था।

13. आदेशिका दिनांक 5.4.2017 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 का जवाब नहीं आने से पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 3.5.2017 को नियत की गई। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि दिनांक 3.5.2017 को पत्रावली में कोई आदेशिका नहीं लिखी गई और सीधे ही प्रकरण को दिनांक 13.6.2017 को लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार'' कैम्प ओजियाणा में नियत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

14. अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 13.6.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया । जबकि

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, पीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1व 2 को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

15. अपीलाधीन प्रकरण को दिनांक 13.6.2017 को लोक अदालत " न्याय आपके द्वार" कैम्प ओजियाणा में नियत कर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जबकि लोक अदालत कैम्प में प्रकरण को नियत किये जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचना पत्र जारी कर उभय पक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर उभयपक्ष के मध्य आपसी सौहार्द से राजीनामा होने की स्थिति में प्रकरण को निर्णित किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदेशिका दिनांक 13.6. 2017 में प्रतिवादीगण की उपस्थिति का अंकन भी नहीं किया गया है। मात्र वादी के वाद पत्र के तथ्यों का अंकन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब दावा लिये जाने के उपरान्त विधिवत प्रकिया को अपनाते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

17. निर्णय आज दिनांक 16.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.16 17:45:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: